अनुदान संख्या 4 – कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 4–MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	860,02,00		860,03,00	780,94,60	–79,08,40
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					77,00,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1,61,00	1,61,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	78992.00	78302.80	78094.60	–208.20
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–690.20			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6910.00	0.20	. .	–0.20
पु.	R.	–6909.80			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत 17010.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इसमें से 16910.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''अन्य ग्रामोद्योग - परम्परागत उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां'' - 10000.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान'' - 6910.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पुनर्विनियोग द्वारा आंशिक निधियों का उपयोग किए जाने और आंशिक राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - एस और टी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान'' - 146.00 लाख रु. की बचत (1095.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के लिए नए पदों के सृजन से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''खादी और ग्रामोद्योग - खादी और ग्रामोद्योग आयोग''- 442.00 लाख रु. की बचत (21731.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी आने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (145.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई; जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2851'' – ''नारियल रेशा उद्योग - नारियल रेशा बोर्ड'' के अंतर्गत मार्च, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 144.37 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''बेरोजगार शिक्षित युवको के लिए रोजगार स्कीम - प्रधानमंत्री रोजगार योजना'' - 1787.98 लाख रु. का अधिक

(I) Provision of Rs.17010.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.16910.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2851” - “Other Village Industries - Funds for Modernisation of Traditional Industries” - Rs.10000.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(B) Major Head “2552” - “Other Expenditure - Provision for North Eastern Region and Sikkim”- Rs.6910.00 lakhs - due to utilisation of part funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from concerned functional heads and surrender of the part amount.

(II) Under Major Head “2851” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Research and Development - Provision for Implementation of S&T Plan” - saving of Rs.146.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1095.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with Khadi and Village Industries Commision and non-approval of the proposal for creation of new posts for Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation.

(B) “Khadi and Village Industries - Khadi and Village Industries Commission” - saving of Rs.442.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21731.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

2.(I) The above savings were partly (Rs.145.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March, 2005 under Major Head “2851” - “Coir Industries - Coir Board”. Actual excess, however, was Rs.144.37 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851” - under the following heads:-

(A) “Employment Scheme for Unemployed Educated Youth - Prime Minister Rojgar Yojana”–

व्यय (20025.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

excess of Rs.1787.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20025.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(खा) ''अन्य ग्रामोद्योग - ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम - एचपीसी की सिफारिश को लागू किया जाना'' - 7800.00 लाख रु. का अधिक व्यय (24800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रोजगार के अवसरों के सृजन संबंधी बढ़े हुए रोजगार लक्ष्य की प्राप्ति किए जाने और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण भी हुआ।

(B) "Other Village Industries - Rural Employment Generation Programme - Implementation of Recommendation of HPC" - excees of Rs.7800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24800.00 lakhs) was due to achievement of the enhanced employment target of creation of job opportunities and also re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में 50.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.50.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"-"Capital Outlay on North Eastern Areas".